ायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः—रजत कुमार विजयवर्गीय (आरएएस)

करण सख्याः— 02/2022

जर्ये सरकार थानाधिकारी सीसवाली पुलिस थाना सीसवाली तह0 मांगरोल जिला बारां

..... प्रार्थी

बनाम

पार्टी नं. 01:—

1. अमित कुमार पुत्र राजेन्द्र जाति धाकड निवासी सीसवाली
2. विजय कुमार पुत्र राजेन्द्र जिाति धाकड निवासी सीसवाली

पार्टी नं. 02:—

1. दिनेश कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति अहीर निवासी 4 बी दादाबाडी कोटा
2. नरेन्द्र कुमार पुत्र कृष्ण गोपाल जाति अहीर निवासी 198 बी आर के पुरम कोटा

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 145 सी.आर.पी.सी.

वकील प्रार्थीः— जर्ये सरकार थानाधिकारी सीसवाली

वकील अप्रार्थी पार्टी नं. 01:— श्री अजित कुमार जैन

वकील अप्रार्थी पार्टी नं. 02:—श्री भंवर सिह गौड, लवकुल गौड

दायरा दिनांकः—21.04.2022 निर्णय दिनांकः— 29.11.2022

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि इस्तगासा धारा 145 सीआरपीसी मे थानाधिकारी सीसवाली द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता की गई। प्रकरण का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में पार्टी नं. 01 व पार्टी नं. 02 के मध्य ग्राम सीसवाली मे स्थित आराजी खसरा नं 3356, 3355, 3357, 3370, 3371 पर कब्जे के संबंध मे विवाद है। मुताबिक इस्तगासा दोनो ही के मध्य उक्त खसरा नम्बरान की आराजी को लेकर अपना—अपना हक व कब्जा होना बता कर दोनो पक्ष आमने—सामने होकर लडाई—झगडा करने पर आमदा है, जो भविष्य मे भी लडाई—झगडा कर कानून व्यवस्था बिगडने की स्थिति उत्पन्न कर सकते है। उक्त प्रकरण धारा 145 सीआरपीसी की परिधी मे आता है। अतः प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

Scanned by CamScanner

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 145 सीआरपीसी मे पार्टी नं. 01 के द्वारा जर्ये अभिभाषक जवाब पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है–

1. यह कि पुलिस थाना सीसवाली ने 145 सी.आर.पी.सी. के परिवाद में खसरा नं0 3556, 3357, 3355, 3370, 3371 रकबा 4.90 है0 में जो फसल कटकर पड़ी हुई बताई है। वह पार्टी नं0 1 द्वारा बुवाई कर तैयार करने हेतु काटकर पटक रखी थी क्योंकि उक्त भूमि की पाटी नं. 2 के पिता द्वारा 23–04–85 को पार्टी नं 1 के पिता राजेन्द्र कुमार को बैचान कर रखी थी तब ही से उक्त भूमि पर पार्टी नं 2 का कब्जा चला आ रहा है क्योंकि पार्टी नं. 2 के पिता ने पार्टी नं. 1 के पिता से यह था कि आप जब चाहोगे तब में रजिस्ट्री करवा दूंगा। इसी दौरान पार्टी नं. 1 व पाटी नं. 2 के दोनों के पिता का स्वर्गवास हो गया। अब बेईमानीपूर्वक पार्टी नं. 2 के पुत्र उक्त इकरारनामें को फर्जी बताकर उक्त भूमि पर बेईमानीपूर्वक कीमत बढ़ जाने के कारण जबरन कब्जा करना चाहते है। इसी कारण पार्टी नं. 2 आये दिन कुछ न कुछ बहाना बनाकर जबरन झूठे मुकदमें कर दबाव बनाकर उक्त भूमि पर कब्जा करना चाहते है।
2. यह कि उक्त इकरारनामा दिनांक 25.04.1985 के बाबत जब पार्टी नं. 02 ने झूठा व फर्जी बताकर जमीन हडपने की कोशिश की तो पार्टी नं. 1 ने संविदा की विशिष्ट पालना मुताबिक इकरारनामा रजिस्ट्री करवाये जाने हेतु वाद न्यायालय अपर जिला एव सेशन न्यायाधीश बारां के यहां तथा प्रार्थना–पत्र आदेश 39 नियम 1 व 2 के तहत पार्टी नं. 2. के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया जिसमें न्यायालय अपर एवं जिला सेशन न्यायालय द्वारा प्रकरण सं. 61/2016 में दिनांक 09.02.2017 की पार्टी नं 1 का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार कर पार्टी नं0 2 को पाबन्द किया जो कि ता फैसला पाबंद किया कि मूल वाद तक विवादित सम्पत्ति को हस्तान्तरण नही करे और किसी भी प्रकार से उक्त दोनो पक्षों के अलावा तीसरे पक्ष का अधिकार का सर्जन विवादित सम्पत्ति में नही करे जो फैसला वर्तमान में अन्तिम फैसला है। मूल वाद वर्तमान में न्यायालय ए.सी.जे.एम. कोर्ट मांगरोल में लंबित है इसलिए उक्त भूमि पर प्रार्थी का पार्टी नं0 1 का निर्विवाद रूप से कब्जा चला आ रहा है क्योकि न्यायालय ने भी उक्त फौरी तौर से पार्टी नं0 1 का ही कब्जा मानकर निर्णय पारित किया है।
3. यह कि जैसा कि 145 सी.आर.पी.सी. में पार्टी नं0 2 ने वर्णन किया कि मांगीलाल पुत्र रामकल्याण जाति गुर्जर निवासी सीसवाली द्वारा फसल करना बताया है तो उक्त तथ्य ही पूर्णता कानूनी रूप से न्यायालय के फैसले के विरूद्ध अपने आप में गैर कानूनी हो जाता है क्योकि मांगी लाल पुत्र रामकल्याण जो कि तीसरा पक्ष है उसको उक्त भूमि में न्यायालय के फैसले के अनुरूप फसल करने का कोई अधिकार नही है और न ही पार्टी नं0 2 तीसरे पक्ष का साथ ले सकती है ऐसी

Scanned by CamScanner

स्थिति में जो तथ्य परिवाद में लिखे है वह न्यायालय के फैसले की अवमानना है और कानून की दृष्ट से ऐसे तथ्यों पर न्यायालय विचार ही नही कर सकता और न्यायालय विचार करता है तो न्यायालय भी अपीलीय न्यायालय के विरूद्ध कार्य करने के कारण कंटेप्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में आता है।

4. यह कि उक्त परिवाद में जो खसरा नं. 3355 का वर्णन किया है वह भूमि पार्टी नं. 1 द्वारा नियमानुसार न्यायालय से फैसला करवाकर साबिक खसरा नं. 1465 हाल खसरा नं. 3354 व 3355 का माननीय राजस्व मंडल अजमेर क्रमांक 9189/2009 दि. 20.02.20 को होने के बाद नियमानुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाकर 29.12.2020 को खातेदारी प्राप्त करने हेतु राशि जमा की जा चुकि है तथा पार्टी नं0 2 ने उक्त भूमि में अपना पक्ष रखने हेतु व हक साबित करने हेतु अनेक प्रयास किये जो न्यायालय द्वारा खारिज कर दिये गये। न्यायालय उप जिला कलक्टर महोदय द्वारा भी प्रकरण संख्या 10/2013 में आदेश 1 नियम 10 के तहत पक्षकार बनने की कोशिश की जिसमें न्यायालय द्वारा 05.03.2014 को पक्षकार बनने का आवेदन खारिज फरमा दिया क्योकि उक्त भूमि का आर0ए0ए0 कोटा द्वारा राजेन्द्र कुमार बनाम मोडूलाल में मोडू लाल में मोडू लाल का आवंटन निरस्त करनेत हु राजेन्द्र कुमार का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये प्राथमिकता के आधार पर समीपवर्ती काश्तकार होने के कारण राजेन्द्र कुमार के नाम नियमन करने का आदेश पारित किया गया । उक्त प्रकरण में कभी भी पार्टी नं0 2 पक्षकार नहीं बना और न ही पृथक से कोई वाद खातेदारी प्राप्त करने हेतु किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नही किया क्योकि पार्टी नं0 2 का उक्त भूमि पर कब्जा कभी नही रहा इस कारण पार्टी नं0 2 द्वारा जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये वह फर्जी व बनावटी है क्योकि 25.06.2022 को जब पार्टी नं0 1 ने जब जिला कलक्टर बारां को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तो पटवारी हल्का व तहसीलदार स्टे की पालना नहीं कर रहे है तो जिला कलक्टर महोदय ने स्पष्ट लिखा कि स्थगन आदेश की पालना करवाई जावे और किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध स्टे की विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही की गई है तो उसको निरस्त किया जावे। तथा उक्त भूमि को स्ट्रीप ऑफ लेण्ड के तहत बेचान की कार्यवाही नही की जावे तथा निर्णय 03.03.93 के अनुसरण में पालना की जावे। इस प्रकार उक्त भूमि पर लगातार प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है इसलिए कब्जे के अनुसरण में न्यायालय के निर्णय राजस्व मण्डल अजमेर खसरा नं0 3354 व 3355 के संदर्भ में पैसा जमा करवाने के बाद पूर्णतया कब्जा साबित है तथा खसरा नं0 3357, 3356, 3370, 3371 रकबा 4.90 है0 में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय की पालना में पूर्णतया कब्जा साबित है इस प्रकार जब कब्जे का प्रश्न है तो समस्त दस्तावेजों से पार्टी नं0 1 का पूर्णतया कब्जा साबित है क्योकि परिवाद में जो पुलिस थाना सीसवाली द्वारा हजारी लाल मीणा व

Scanned by CamScanner

गोविन्द नागर, बृजमोहन यादव, जाहिद खान द्वारा फसल ले जाने के बाबत वर्णन किया है वह कथन पार्टी नं0 1 द्वारा लडाई झगडा करने के कारण परिवाद में लिखवाया है वर्तमान में जो फसल सरसो है वह फसल पार्टी नं0 1 व 2 को प्राप्त नहीं हुई है क्योकि जिला कलक्टर महोदय द्वारा तहसीलदार सीसवाली को फसल सरसों की चौरी रोकने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसकी जांच वर्तमान में लंबित है और अभी भी श्रीमान एस0पी0 महोदय व जिला कलक्टर महोदय बारां को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुझे मेरी फसल सरसों जो चोरी की गई है वह रिपोर्ट दर्ज कर जप्त की जावे व पार्टी नं0 1 को सुपुर्द की जावे इस प्रकार पुलिस थाना सीसवाली द्वारा 145 सी0आर0पी0सी0 प्रस्तुत की है वह प्रार्थी पार्टी नं0 1 का कब्जा होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि पार्टी नं0 1 का कब्जा होने के कारण पुलिस थाना सीसवाली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 145 सीआरपीसी मे पार्टी नं. 02 के द्वारा जर्ये अभिभाषक जवाब पेश किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है–

1. यह कि थानाधिकारी सीसवाली द्वारा दिनांक 12.04.2022 को एक परिवाद अन्तर्गत धारा 145 सी. आर.पी.सी. का झूठे तथ्यो के आधार पर श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अप्रार्थीगण पार्टी नं. 1 व 2 के मध्य ग्राम सीसवाली में स्थित भूमि खसरा नं0 3356, 3357, 3370, 3371, 3355 के संबन्ध में कब्जे का विवाद होने का उल्लेख किया है जबकि उक्त भूमि आराजीयात पार्टी नं. 2 की पुश्तेनी भूमि है जिस पर पार्टी नं. 2 कब्जे काश्त होकर खेती करते है तथा उक्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं जिसका स्वामित्व व कब्जा दोनो ही पार्टी नं. 2 के पास है।
2. यह कि पार्टी नं. 1 द्वारा पार्टी नं. 2 की उक्त भूमि के संबन्ध में एक फर्जी इकरार नामा उक्त भूमि को हड़पने के लिए तैयार कर लिया व उसके आधार पर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां के समक्ष झुठे तथ्यो के आधार पर स्वयं का कब्जा बताते हुये एक सिविल सूट दायर किया जिसके साथ अस्थायी निषेधाज्ञा (स्टे) का प्रार्थना–पत्र भी पेश किया जिसमें अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र को वादीगण का कब्जा नही होने के कारण खारीज कर दिया जिसकी प्रति जवाब के साथ सलग्न है। पार्टी नं. 2 द्वारा उक्त फर्जी व कूटरचित इकरार नामें दिनांक 23.04.1985 के संबन्ध में एक गुकदमा थाना सीसवाली में दर्ज करवाया जिसमें उक्त स्टाम्प को जप्त किया जाकर FSI हेतु भिजवाने पर उक्त इकरार नामा फर्जी होने की पुष्टि हो गयी।
3. यह कि पार्टी नं. 1 द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां के आदेश के विरुद्ध ए.डी.जे. कम 2 बारां के समक्ष अपील पेश की जिसमें दोराने अपील उक्त भूमि के यथास्थिति का आदेश दिया गया जिसकी

Scanned by CamScanner

पालना भी पार्टी नं. 2 कर रही है, पार्टी नं. 2 उक्त स्थगन के पूर्व से ही खेती कर रही थी और वर्तमान में भी पार्टी नं. 2 उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है, उक्त आदेश के विरुद्ध पार्टी नं. 2 द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष रिट याचिका पेश की गयी जो वर्तमान में विचाराधीन है। पार्टी नं. 2 ही स्वयं की पुश्तैनी भूमि पर कब्जा काश्त है इसकी जांच श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बारां द्वारा भी की गयी और पुलिस अधीक्षक बारां द्वारा भी की गयी जिसमें भी यह पुष्टि हो गयी कि पार्टी नं. 2 ही उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है परन्तु फिर थानाधिकारी सीसवाली द्वारा कब्जे के संबन्ध में विवाद बताते हुये उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो पार्टी नं. 2 की समझ से बाहर है। क्योकि जब हर तरह की जांच से यह साबित हो चुका है कि उक्त भूमि पर कब्जा पार्टी नं. 2 का है तो उक्त कार्यवाही का कोई ओचित्य नही रह जाता।

4. यह कि पार्टी नं. 2 शान्ति पूर्वक स्वयं की पुश्तैनी भूमि पर जिसको विवादित बताया गया है शान्ति पूर्वक काबिज काश्त होकर खेती कर रही है और प्रतिवर्ष जिन लोगो को पार्टी नं. 2 द्वारा मुनाफा काश्त पर जुताया जाता है इसके लिखित स्टाम्प पेपर भी पार्टी नं. 2 के पास के मोजूद है। व कर्ता पिलाई की रसीदे भी पार्टी नं. 2 के पास मोजूद है और कई ग्रामवासी भी इस बात के गवाह है कि पार्टी नं. 2 ही उक्त भूमि पर काबिज है। पूर्व में पार्टी नं. 1 द्वारा पार्टी नं. 2 के खेत की पट्टियां तोडने पर मुकदमें में न्यायालय मांगरोल द्वारा पार्टी नं. 1 को दण्डित किया गया है जो क्योकि न्यायालय ने भी यह माना है कि उक्त भूमि पर पार्टी नं. 2 का निरन्तर रूप से कब्जा चला आ रहा है इसके बावजूद इस भी तथ्यो की जानकारी थाना सीसवाली को होते हुये भी उक्त कार्यवाही किया जाना किसी षडयंत्र का परिचायक है और पार्टी नं. 2 के विधि पूर्ण कब्जे में बगेर कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये दखल दिये जाने का संदेह होता है इसलिए थाना सीसवाली की भी भूमिका उक्त प्रकरण में संदिग्ध नजर आती है क्योकि थाना सीसवाली द्वारा कई प्रकरणों में जांच की जाकर पार्टी नं. 2 के कब्जे की पुष्टि हो चुकी है और उक्त भूमि के कब्जे के संबन्ध में पार्टी नं. 1 व 2 के मध्य आपने सामने कोई झगडा होने की कोई संभावना नही है और ना ही शान्ति भंग होने की संभावना है। उक्त कार्यवाही बिना किसी ठोस आधार के अमल में लायी जा रही है तथा पार्टी नं. 2 की पुश्तेनी कृषि भूमि को षडयंत्र के तहत कब्जा राज लिये जाने का उल्लेख थानाधिकारी द्वारा अपने परिवाद में किया गया है जो बिल्कुल गलत है अगर ऐसी कोई कार्यवाही की जाती है तो पार्टी नं. 2 के साथ घोर अन्याय होगा और आम लोगो का कानून पर से विश्वास उठ जाऐगा। वेसे भी विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी कब्जा धारी को उसकी भूमि से बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बेदखल नही किया जा सकता और ना ही कब्जा छिना जा सकता है। चाहे वह सरकार हो या पक्षकार हो। वेसे भी धारा 145 सी.आर.पी.सी. में यह कहा गया है कि

Scanned by CamScanner

विवादित भूमि पर जिसका कब्जा चला आ रहा है यदि उसको जबरदस्ती बेकब्जा कर दिया जाता है तो 2 माह बाद भी उसके कब्जे को रेस्टोर करने का प्रावधान है जबकि उक्त प्रकरण में तो पार्टी नं. 1 का उक्त भूमि पर 1 दिन का भी कब्जा नही रहा है और ना ही उसके द्वारा आज तक कब्जा छिनने का प्रयास किया गया है इसलिए पक्षकार पार्टी नं. 2 फिर भी अपने कब्जा काश्त होने के संबन्ध में मौखिक व दस्तावेजी शहादत पेश कर रहे है जिनका गहनता से अवलोकन कर श्रीमान न्यायपूर्ण निस्तारण करें और कब्जाधारी के अधिकारों की सुरक्षा करते हुये आदेश पारित करें जिससे पार्टी नं. 2 के साथ न्याय हो सके।

5. यह कि इस्तगासे में वर्णित आराजी के संबन्ध में दीवानी न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महोदय मांगरोल व माननीय उच्च न्यायालय में अपील, वाद व रिट जेरकार है इस आधार पर भी माननीय न्यायालय को उक्त इस्तगासा कार्यवाही में कोई आदेश पारित करना विधि के प्रावधानो के विरुद्ध होगा इस प्रकार पुलिस कार्यवाही धारा 145 सी. आर.पी.सी. खारीज करने योग्य है।
6. यह कि उक्त वर्णित आराजी के संबन्ध में माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजि० महोदय मांगरोल ने बउनवान सरकार बनाम अमित कुमार जुर्म दफा 447,427 आई.पी.सी. प्ररकण संख्या 75/2014 में दिनांक 06.04.2022 को निर्णय पारित कर अभियुक्त अमित कुमार को धारा 447,427 आई.पी.सी. में दोषी करार दिया है।
7. यह कि पार्टी नं0 2 को वर्तमान में खातेदारी व प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर वर्तमान में कब्जा माना है पार्टी नं. 2 उक्त आराजी का कर्ता पिलाई भी जमा करवा रहे है तथा उक्त आराजी खातेदार ने पाती काश्त पर दे रखी है जिसमें पांतीदार ने फसल सोयाबीन बो दी है।
8. यह कि पार्टी नं. 2 निम्न दस्तावेजो के आधार पर अपना स्वामित्व व कब्जे काश्त को साबित करते है:–
   i. जमाबन्दी सम्वत् 2073–76
   ii. कूटरचित स्टाम्प इकरार नामा दिनांक 23.04.1985 व FSL रिपोर्ट थाने द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 04.04.2018
   iii. निर्णय दिनांक 06.04.2022 ए.सी.जे.एम. न्यायालय मांगरोल के अनुसार पार्टी नं. 2 का कब्जा मानते हुये पार्टी नं. 1 को धारा 447,427 आई.पी.सी. के आरोप में दोषी करार दिया।
   iv. जांच रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी मांगरोल दिनांक 15. 03.2022 जिसमें उपखण्ड अधिकारी ने बाद जांच पाया बुआई करने के बारे जानकारी करने पर बताया कि खातेदार कृष्णगोपाल वगेरह के द्वारा भूमि काश्त करने हेतु हजारीलाल पुत्र मन्नालाल मीणा निवासी सीसवाली को बटाई (पांती) पर दे रखी है।

Scanned by CamScanner

v. अन्य दस्तावेज इस्तगासे के जवाब के साथ पेश है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि पार्टी नं. 2 की उसकी खाते की व कब्जे काश्त की भूमियों के कब्जे में कोई बेदखल न करें ऐसा आदेश न्यायालय प्रदान करें तथा पार्टी नं० 2 अपने शान्तिपूर्ण का उपयोग व उपभोग कर सके। उक्त कार्यवाही खारिज करने का आदेश प्रदान करे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 145 सी.आर.पी.सी., जवाब प्रार्थना पत्र पार्टी नं0 1 एवं पार्टी नं0 2, संलग्न दस्तावेजों एवं राजस्व रिकोर्ड का ध्यान पूर्वक अवलोकन, अध्ययन एवं मनन किया गया। वकील पक्षकारान की बहस सूनी गई। दौराने बहस वकील पक्ष पार्टी नं. 1 ने विवादित आराजी पर पार्टी क्रम 1 का कब्जा होना बताया जबकि वकील पक्ष पार्टी नं. 2 ने विवादित आराजी पर पार्टी नं. 2 का कब्जा होना बताया। वकील पक्षकारान द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त आराजी विवादित होने से अधिकार व कब्जा संबंधी एक प्रकरण माननीय ए.सी.जे.एम. कोर्ट मांगरोल में जेरकार है। वकील पक्ष पार्टी नं. 2 द्वारा कथन किया गया कि पार्टी नं. 1 व 2 के मध्य आमने सामने कोई झगडा होने की कोई संभावना नही है और ना ही शान्ति भंग होने की संभावना है। उक्त कार्यवाही बिना किसी ठोस आधार के अमल में लायी जा रही है। इस्तगासे में वर्णित आराजी के संबन्ध में दीवानी न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महोदय मांगरोल व माननीय उच्च न्यायालय में अपील, वाद व रिट जेरकार है इस आधार पर भी माननीय न्यायालय को उक्त इस्तगासा कार्यवाही में कोई आदेश पारित करना विधि के प्रावधानो के विरुद्ध होगा इस प्रकार पुलिस कार्यवाही धारा 145 सी. आर.पी.सी. खारीज करने योग्य है।

पार्टी नं0 1 एवं पार्टी नं0 2 की ओर से फर्द दस्तावेज साक्ष्य में पेश किये। जो शामिल पत्रावली है।

फर्द दस्तावेज मे माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सैशन् न्यायाधीश, बारां के निर्णय दिनांक 09.02.2017 अपील संख्या 61/16 बउनवान विजय कुमार वगै0 बनाम कृष्ण गोपाल वगै0 पेश किया जिसमें अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 30.05.2016 अपास्त किया तथा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद पाबन्द किया कि वह विवादित सम्पत्ति को अन्य संक्रामित हस्तान्तरित नही करे और किसी तृतीय पक्षकार के अधिकार का सर्जन विवादित सम्पत्ति में नही करे।

फर्द दस्तावेज मे माननीय उच्च न्यायालय जयपुर बेंच के निर्णय दिनांक 20.09.2022 S.B. Civil Writ Petition No. 3806/2017 बउनवान कृष्ण गोपाल वगै0 बनाम विजय कुमार वगै0 पेश किया जिसमें माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सैशन् न्यायाधीश, बारां के निर्णय दिनांक 09.02.2017 अपील संख्या 61/16 बउनवान विजय कुमार वगै0 बनाम कृष्ण गोपाल वगै0 को बरकरार रखा।

Scanned by CamScanner

माननीय उच्चतम न्ययालय एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश अनुसार यदि एक ही [संप]त्ति पर कब्जे या शीर्षक की घोषणा के लिए एक सिविल सूट लंबित है तो धारा 145 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही रोक दी जानी चाहिए।

चूंकि उक्त भूमि पर पक्षकारान के मध्य शीर्षक एवं कब्जे संबंधी प्रकरण माननीय ए.सी.जे.एम. कोर्ट मांगरोल में लंबित है एवं विवादित भूमि पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सैशन् न्यायाधीश, बारां द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की हुई है। इस कारण माननीय उच्चतम न्ययालय एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 145 सी.आर.पी.सी. अस्वीकार कर खारिज किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 145 सी.आर.पी.सी. अस्वीकार कर खारिज किया जाता है निर्णय आज दिनांक 29.11.2022 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Scanned by CamScanner